प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' चौंतीस '

[29/7/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 47]

परिशिष्ट -'अ'

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 2-22/2010/सात-6.

भोपाल दिनांक 28 दिसम्बर, 2010

प्रति,

(1) समस्त संभागीय आयुक्त,
मध्यप्रदेश

(2) समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषयः-आबादी क्षेत्र में भूखण्ड धारकों को प्रमाण-पत्र प्रदाय के संबंध में योजना।

राज्य शासन के निर्णयानुसार, आबादी क्षेत्र में निवासरत् रहते हुए अपने भू-खण्ड पर आवास निर्माण करने अथवा अर्द्धपक्के या कच्चे मकान का जीर्णोद्धार या उन्नयन करने के लिये किसी बैंक या ऋण प्रदायकर्ता संस्था से आवास ऋण लेना चाहते हैं, उन्हें आवास ऋण प्राप्त करने के लिये धारित भू-खण्ड के विषय में प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होगी, ऐसे धारक को प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्न प्रकिया निर्धारित की जाती हैं.-

(1) आवेदक प्रमाण पत्र के लिये तीन प्रति में तहसीलदार को आवेदन करेगा। जिसके साथ धारित भूखण्ड की चतुर्सीमा के विवरण तथा क्षेत्रफल सहित नजरी नक्शा भी प्रस्तुत किया जावेगा। आवेदक आवेदन पत्र की प्रत्येक प्रति पर अपना स्वहस्ताक्षरित नवीन फोटो लगायेगा तथा फोटो की एक अतिरिक्त प्रति भी संलग्न करेगा।

(2) आवेदक यदि उसके पास भूखण्ड विषयक कोई भी दस्तावेज या प्रमाण उपलब्ध है तो उसके आधारों का उल्लेख करते हुए ऐसे दस्तावेज या प्रमाण की स्वहस्ताक्षरित प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करेगा।

(3) आवेदक यदि उस ग्राम का खातेदार या ग्रामीण शिल्पी है तो वह इस बाबत भी उपलब्ध प्रमाण संलग्न करेगा।

(4) आवेदक अपने आवेदन में 2 अक्टूबर, 1959 की तिथि को आधार तिथि मानते हुए प्रश्नाधीन भूखण्ड/आवास के धारणाधिकार को प्रमाणित करने हेतु उत्तरजीविता क्रम के विवरण भी आवेदन में देगा।

(5) आवेदक ने यदि भूखण्ड/आवास किसी हस्तांतरण विलेख के आधार पर प्राप्त किया है तो ऐसे हस्तांतरण विलेख की स्वहस्ताक्षरित प्रमाणित छायाप्रति और हस्तांतरणकर्ता के धारणाधिकार के संबंध में ऊपर पद (4) अनुसार विवरण भी आवेदन में देगा।

(6) आवेदक आवेदन के साथ अपने दो पासपोर्ट साईज के फोटो भी उपलब्ध करायेगा।

7। तहसीलदार उक्तानुसार पूर्तियों के साथ प्राप्त आवेदन की प्रथम दृष्टया जांच [illegible] दिवस के भीतर [illegible] राजस्व निरीक्षक मण्डल के राजस्व निरीक्षक को आवेदन की दूसरी प्रति प्रेषित करते हुए उससे एक सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश देगा। राजस्व निरीक्षक संबंधित पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर अपनी सन्तुष्टि उपरांत टीप सहित प्रतिवेदन तहसीलदार को एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करेगा।

(8) तहसीलदार आवेदन पत्र की तीसरी प्रति संबंधित ग्राम पंचायत की ओर प्रेषित करते हुए प्रतिवेदन/अनुशंसा करने की अपेक्षा करेगा।

(9) तहसीलदार, ग्राम पंचायत तथा राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात युक्तियुक्त जांच जैसी की वह आवश्यक समझे, करने के उपरांत प्रमाण पत्र दिये जाने के विषय पर निर्णय लेगा और यदि तहसीलदार प्रमाण पत्र प्रदाय करना उचित पाता है तो निर्धारित प्ररूप (संलग्न) में प्रमाण पत्र जारी करेगा। जिसमें यह उल्लेख किया जावेगा कि यह प्रमाण पत्र राजस्व सर्वेक्षण द्वारा तैयार किये जाने वाले अधिकार अभिलेख के अध्यधीन रहेगा।

(10) तहसीलदार आवेदन प्राप्त होने की दिनांक से 30 दिवस के भीतर आवेदन का निराकरण सुनिश्चित करेगा।

संलग्न: प्रमाण–पत्र का प्ररूप।

(अनिल श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ.क्रमांक एफ 2–22/2010/सात–6
प्रतिलिपि:–

भोपाल दिनांक 28 दिसम्बर, 2010

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
4. आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
5. निज सचिव/निज सहायक, मान0 मुख्यमंत्रीजी/मंत्रीजी/राज्यमंत्री जी मध्यप्रदेश, भोपाल।

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भू.ण्ड धारक
का फोटो

प्ररूप

भूखण्ड धारक
का फोटो

ग्राम में की आबादी के भूखण्ड धारक का प्रमाण पत्र

न्यायालय तहसीलदार .... तहसील.................. जिला .... म.प्र.

एतदद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि .... पुत्र.......................निवासी ग्राम ....पटवारी हल्का क्र............... तहसील................जिला..............को ग्राम ....पटवारी हल्का क्र.............. तहसील.................... में स्थित आबादी खसरा क्र.................. में नीचे लिखे भू–खण्ड का भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त है।

यह स्थल उसके द्वारा या उसके उत्तराधिकारियों एवं स्वत्वाधिकारियों द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (1959 का क्रमांक 20) के उपबन्धों के अधीन धारण किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र भविष्य में ग्राम की आबादी के विस्तृत राजस्व सर्वेक्षण होने पर तैयार अभिलेख के अध्यधीन होगा।

भू–खंडों का चतुःसीमा (1)	क्षेत्रफल(वर्गमीटर में) (2)	लंबाई–चौडाई(मीटर में) (3)
पूरब में		
पश्चिम में		
उत्तर में		
दक्षिण में		

नजरी नक्शा निम्नानुसार है :–

दिनांक ....

मुद्रा ....

तहसीलदार

....